प्रेस नोट 29.08.2020

संगठित अपराध/अपराधियों व भू–माफियाओं के विरूद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2020 को थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत रैनी ग्रामसभा जमीन पर बना एफसीआई रेन्ज गोदाम को अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया है। उक्त 33 एयर जमीन एससी/एसटी लोगों की थी जिसके सम्बन्ध में पूर्व मे मुकदमा पंजीकृत था जिसपर मुख्तार अंसारी की पत्नी द्वारा बिना जिलाधिकारी के आदेश से अवैध कब्जा कर लिया गया था जिसकी कीमत लाखों में है।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला पर दिनांक 09.07.2020 को मु0अ0सं0 129/20 धारा 419,420,433,434,447,467,468,471 भादवि0 तथा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम विकाश कन्सट्रक्सन रजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर के प्रोपराइटर आतिफ रजा पुत्र जमशेद निवासी सैयदवाड़ा थाना कोतवाली गाजीपुर व पार्टनर क्रमशः अफसाना अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी यूसूफपुर थाना मुहम्मदाबाद गाजीपुर, अनवर शहजाद, रवीन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हुसैन निवासीगण गाजीपुर व के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

170 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, लगभग 200 लीटर लहन नष्ट, 05 व्यक्ति गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28/29.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा रसूलपुर मोर्चा के पास से वीरेन्द्र पुत्र स्व0 वंशी निवासी बन्धनपुर थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से 40 लीटर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा कल्पनाथ राजभर पुत्र तुफानी राजभर निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से 10 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा दुबारी पुल के पास से हंसराज पुत्र सोमर निवासी मोलनापुर महुआरी, सुधाकर पुत्र सुरेश निवासी धर्मपुर विसूनपुर थाना मधुबन मऊ दोनों के कब्जे से 110 लीटर शराब बरामद कर लगभग 300 लीटर लहन नष्ट किया गया। थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा निजामुद्दीन पुत्र मो0 शाहिद निवासी खीरीया थाना रानीपुर मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबाकरी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के मवेशी बेचकर प्राप्त किये 3500 रूपये बरामद–

आज दिनांक 29.08.20 को थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 535/20 धारा 379,411 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण हरेराम पुत्र भूवर, संतोष पुत्र विपिन, छोटु पुत्र जितेन्द्र निवासीगण परदहा ताजोपुर थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से 3500 रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्तों द्वारा वादी सुभाष पुत्र महादेव निवासी टमटा दुबारी थाना मधुबन के भैंसे को चुरा कर कही बेच दिया गया था। उक्त अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि भैसे को 10 हजार में बेच दिया गया था जिसमें 3500 रूपये बचे है बाकी खर्च हो गया है।

शांति भंग की आशंका में 26 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक29.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा गोलु, पवन निवासी जमालपुर, सुनील, जितेन्द्र निवासी गहना, तुफानी, उमेश निवासी इटौरा, प्रमोद, रोहित, भृगुनाथ निवासीगण चकरा थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा गोविन्द निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा अभय, अशोक निवासी दुबारी, राहुल उर्फ सोनू, दिनेश निवासीगण गांगेवीर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा रामयण, रामदरश निवासीगण भगवानपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा अजय, दीपक, रामशब्द, रामानुज निवासीगण काझा, विनोद, अशोक, राकेश निवासीगण खीरीया निवासीगण थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा गुलशन निवासी हरपुर थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 28.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 29.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 357 बैरियर प्वाइंट (302 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 13 व्यक्तियों के विरूद्ध 02 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 1558 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 85 वाहनों का चालान तथा 09 हजार 800 रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

साथ ही साथ मास्क न लगाने पर किये गये 140 चालान व वसूले गये 08 हजार 800 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 47 चालान व वसूले गये 02 हजार जुर्माना सहित कुल 20 हजार 600 रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।